



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042022-234908
CG-DL-E-06042022-234908

xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1517]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2022/ चैत्र 14, 1944

No. 1517]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2022/CHAITRA 14, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2022

का.आ. 1578(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2929 (अ) दिनांक 26 जुलाई 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले में NH52 के कि.मी. 100 से कि.मी. 141 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "13 अक्टूबर, 2021" को "लोकमत टाइम्स (अंग्रेजी)" और "14 अक्तुबर 2021" को "दै. दिव्य मराठी (मराठी)" में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळंब ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळंब ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले में NH52 के कि.मी. 100 से कि.मी. 141 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: उस्मानाबाद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: वाशी				
	गांव का नाम: इंदापुर				
1	260	निजी	कृषिक	0.006	संजय लिंगाजी गपाट (260)
	गांव का नाम: तेरखेडा				
2	1201	निजी	कृषिक	0.02	माणिकलाल चंदुलाल बोराणा (1201)
3	1208	निजी	कृषिक	0.0011	इस्लाम अबुबकर चाऊस (1208)
4	1208	निजी	कृषिक	0.0004	जेएमआर व ताबा के अनुसार शिवाजी कोंडीबा गोरे और 7/12 के अनुसार उत्तम विठ्ठल काळे (1208)
5	1225	निजी	अकृषिक	0.04	माणिकलाल चंदुलाल बोराणा (1225)

6	1226	निजी	कृषिक	0.02	राजेश माणिकलाल बोराणा, रोहित माणिकलाल बोराणा (1226)
7	226	निजी	कृषिक	0.015	अशोक ज्ञानोबा पौळ ()
8	231	निजी	कृषिक	0.018	अशोक ज्ञानोबा पौळ (231)
			कुल	0.1205	

[फा. सं. NHAI/PIU/AUR/2018/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th April, 2022

S.O. 1578(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 2929 (E) dated 26th July 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH52 on the stretch of land from Km. 100 to Km. 141 in the district of OSMANABAD in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Lokmat Times (English)” dated 13th October 2021 and “Dainik Divya Marathi (Marathi)” dated 14th October 2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority & Sub Divisional Officer Kalamb;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority & Sub Divisional Officer Kalamb has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH52 in the stretch of land from NH52 in the district of OSMANABAD in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: OSMANABAD		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Washi				
	Village: Indapur				
1	260	Private	Agriculture	0.006	Sanjay Limbaji Gapat 260
	Village: Terkheda				
2	1201	Private	Agriculture	0.02	Maniklal Chandulal Borana 1201
3	1208	Private	Agriculture	0.0011	Islam Abubkar Chaus 1208
4	1208	Private	Agriculture	0.0004	As per JMR & Taba Shivaji Kondiba Gore & As per 7/12 Uttam Vitthal Kale 1208
5	1225	Private	Non-Agriculture	0.04	Maniklal Chandulal Borana 1225
6	1226	Private	Agriculture	0.02	Rajesh Maniklal Borana & Rohit Maniklal Borana 1226
7	226	Private	Agriculture	0.015	Ashok Dnyanoba Paul 226
8	231	Private	Agriculture	0.018	Ashok Dnyanoba Paul 231
			TOTAL	0.1205	

[F. No. NHAI/PIU/AUR/2018/3D]

RAJESH GUPTA, Director